संख्या-32/2016/आर-422/26-3-2016-रिट(30)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-32341/2015 वेदान्क श्रीवास्तव बनाम् उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-10.12.2015 एवं स्पेशल अपील संख्या-12/2016 उ0प्र0 राज्य बनाम वेदान्क श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक-14.01.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3811/स.क./शिक्षा-अ/लखनउ दिनांक-25.01.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका/विशेष अपील में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-10.12.2015 एवं दिनांक-14.01.2016 के अनुपालन में याची छात्र की सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-56,050/- (रूपये छप्पन हजार पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि याची छात्र सुसंगत नियमावली की समस्त शर्तो को पूर्ण करता हो।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-32/2016/आर-422(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in